# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

## मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2009

## (माघ - 21, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 एवं 13 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 1, 4, 7 एवं 9 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः महंत रामसुंदर दास, श्री रविशंकर त्रिपाठी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी एवं श्री धर्मजीत सिंह अनुपस्थित रहे। प्रश्न संख्या 8 पर श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 15 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(1) अधिसूचना क्रमांक 22/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008, दिनांक 9 सितम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन), 2008,

(2) अधिसूचना क्रमांक 26/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2007, दिनांक 25 जून, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2008,

(3) अधिसूचना क्रमांक 25/सी.एस.ई.आर.सी./2008, दिनांक 14 जुलाई, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति) विनियम, 2008, तथा

(4) अधिसूचना क्रमांक 28/सी.एस.ई.आर.सी./2008, दिनांक 22 मई, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा-स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबन्धन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय-वस्तु) विनियम, 2008, पटल पर रखे।

## 3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने बस्तर वन वृत्त में साल वृक्षों की अवैध कटाई के लिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

## 4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने जिला-महासमुंद, विकासखंड-बसना, पिथौरा, बागबाहरा में लो वोल्टेज की समस्या,

(2) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने शिवरीनारायण मेला महोत्सव हेतु शासकीय राशि मेला समिति को अप्राप्त होने, तथा

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिले की सेवा सहकारी समितियों में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के नाम से लाखों रुपये की वसूली किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

## 5. समितियों का निर्वाचन

### (1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

## (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2009 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा गुरुवार दिनांक 12 फरवरी, 2009 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2009 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा ।
   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।
   उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

### छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया।

## 7. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (जारी)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

डॉ. शक्राजीत नायक।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नारायण चंदेल, परेश बागबाहरा, सुश्री सरोज पाण्डेय, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, देवजी भाई पटेल (जारी)

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

श्री देवजी भाई पटेल, श्रीमती अंबिका मरकाम (जारी)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए। )**

श्रीमती अंबिका मरकाम, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री संतोष बाफना, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दयाल दास बघेल, गुरू रुद्र कुमार, सेवकराम नेताम, शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, श्री लखमा कवासी, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, विरेन्द्र कुमार साहू

(सभापति महोदय (श्री नारायण प्रसाद चंदेल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रामदेव राम, बैदूराम कश्यप, रामपुकार सिंह, दीपक कुमार पटेल, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए। )**

सर्वश्री राजूसिंह ठाकुर, दूजराज बौद्ध, ह्दयराम राठिया,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से शेष माननीय सदस्यों के भाषण पूर्ण होने तक

सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की )

सर्वश्री फूलचंद सिंह, भोलाराम साहू, मदनलाल साहू।

**रात्रि 7.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2009 (माघ 22, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।**

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा